कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 22.07.2026

थाना बलुआ, जनपद चन्दौली

☐ चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही जारी।

☐ थाना बलुआ पुलिस व ANTF वाराणसी की संयुक्त टीम की बड़ी कार्यवाही, 253 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ 01 शातिर तस्कर गिरफ्तार।

☐ बरामद अवैध हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 31.62 लाख रुपये।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष बलुआ अरूण प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस व ANTF वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अंग्रेजी शराब की दुकान से 50 मीटर आगे (ग्राम टाण्डाकला) से 253 ग्राम अवैध हेरोइन की बरामदगी करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 18:58 बजे थाना बलुआ पुलिस व ANTF वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी शराब की दुकान से बाये मोड़ पर करीब 50 मीटर आगे ग्राम टाण्डाकला के पास से तस्कर को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर अभियुक्त पुलिस को भ्रमित करने के लिए जोर-जोर से शोर मचाने लगा, परंतु पुलिस टीम द्वारा संयमित व्यवहार करते हुए नियमानुसार नायब तहसीलदार (मजिस्ट्रेट) दिनेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में अभियुक्त की तलाशी ली गई।

अभियुक्त के पहने हुए हाफ पैंट की कमर (इलास्टिक) में खोसी हुई काली पॉलिथीन से कुल 253 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद की गई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह कैथी (बनारस) से माल लाकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था तथा ग्राहकों की मांग के अनुसार तौलकर आपूर्ति करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- जगदीश सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सोनबरसा (टाण्डाकला), थाना बलुआ, जनपद चन्दौली (उम्र 58 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 210/2026 धारा 8/21 NDPS Act, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

जगदीश सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 – 210/2026 धारा 8/21 NDPS Act, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0 – 295/2025 धारा 8/21 NDPS Act, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 – 218/2023 धारा 8/20 NDPS Act, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

- अवैध हेरोइन: 253 ग्राम (अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹31.62 लाख रुपये)
- नगदी: कुल 1,100 रुपये

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक: 22.07.2026

□थाना सैयदराजा व सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूट के मामले में वांछित 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया।

□सह-अभियुक्त मसीद को 01 अवैध असलहा एवं 02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना-

प्रार्थी द्वारा तहरीर दी गई कि उसका ट्रक संख्या BR01GF8742, जिस पर लगभग 25 टन कोयला लदा था, दिनांक 27.11.2024 को डेहरी (बिहार) से सितापुर के लिए चालक इम्तेयाज खान एवं खलासी राजू सिंह के साथ रवाना हुआ था। दिनांक 28.11.2024 को रात्रि लगभग 02:30 बजे सूचना मिली कि ट्रक थाना सैयदराजा क्षेत्र के बगही कुम्भापुर के पास से लूट ली गई। उक्त के संबंध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। उक्त प्रकरण में पूर्व में मसीद सहित 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो की जा चुकी है।

कार्यवाही-

उच्चाधिकारियों के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा व प्रभारी सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.07.2026 को थाना सैयदराजा व सर्विलांस क पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 216/2024 (धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) BNS) में वांछित 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शहजाद अली तथा उसके साथी मसीद को एनएच-19 (वाराणसी से बिहार जाने वाली उत्तरी लेन) पर स्थित काले शहीद बाबा मजार के पास से एक ट्रक वाहन सं0 DD01AL9764 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त मसीद के कब्जे से 01 अवैध असलहा 0.315 बोर तथा 02 जिंदा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुए। इस बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर पृथक से मु0अ0सं0 221/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.शहजाद अली पुत्र आजाद अली निवासी भगवानपुर छितपालगढ़, थाना देल्हुपुर, जनपद प्रतापगढ़

2.मसीद पुत्र जुमई निवासी कुल्हीपुर, थाना देल्हुपुर, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी का विवरण-

1-01 अवैध असलहा 0.315 बोर तथा 02 जिंदा कारतूस 0.315 बोर

2-01ट्रक वाहन सं0 DD01AL9764

अपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त शहजाद अली-

1.मु0अ0सं0 216/2024, धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) BNS थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

2. अभियुक्त मसीद-

1.मु0अ0सं0 216/2024, धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) BNS थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 221/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली